भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1712
उत्तर देने की तारीख 10.03.2025

संस्कृति संबंधी अधिकारों का संरक्षण

1712. श्रीमती रचना बनर्जी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किस तरह से यह सुनिश्चित कर रही है कि अल्पसंख्यकों, देशज समुदायों और हाशिए पर स्थित समूहों के सांस्कृतिक अधिकारों को कानून के तहत संरक्षित किया जाए;

(ख) सरकार किस तरह से अभिनेताओं, कलाकारों और पारंपरिक ज्ञान और लोकगीतों के रचनाकारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है;

(ग) देशज भाषाओं, विशेष रूप से विलुप्त होने के जोखिम वाली भाषाओं को बचाने और संवर्धन के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और किस तरह से इन्हें वित्तपोषित किया जा रहा है;

(घ) सांस्कृतिक विनियोग के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से तब जब भारतीय संस्कृति के पारंपरिक तत्वों को उनके मूल के लिए उचित श्रेय या सम्मान दिए बिना उनका व्यावसायीकरण किया जाता है; और

(ड.) सरकार किस तरह से विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा हो सकता है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को आर्थिक विकास की मांग के साथ संतुलित करती है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय अपने संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन तथा मूर्त और अमूर्त कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य करता है। सरकार कला और संस्कृति के क्षेत्र में देश भर के सभी कलाकारों को समान अवसर प्रदान करती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वदेशी जनजातीय भाषाओं, संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमें ''जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता'' और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम ''जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता'' और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम ''जनजातीय शोध, सूचना, शिक्षा संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)'' कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान संगठनों/एनजीओ/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों/पीएसयू द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के लिए 100% निधियां संस्वीकृत की जाती हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, जनजातीय समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण, सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन करना है, जिसमें जनजातीय भाषाएं, रीति-रिवाज और परंपराएं तथा अन्य मूर्त और अमूर्त विरासत भी शामिल हैं।

*****